न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. गारू उर्फ नारायणी पुत्री भैरू अहीर निवासी कारोई खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

––वादीया

बनाम

1. मांगी पत्नी भैरू अहीर आयु वयस्क निवासी कारोई कलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. मांगी पत्नी भंवरदास बैरागी आयु वयस्क निवासी कारोई कलां तह0 व जिला भीलवाड़ा
3. ऐजी पत्नी कालू लाल तेली आयु वयस्क निवासी तिलोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. गोपाल पुत्र भैरू अहीर आयु वयस्क निवासी कावांखेड़ा, भीलवाड़ा
5. कमला पुत्री भैरू अहीर पत्नी भंवरलाल अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. प्रेम पुत्री भैरू अहीर पत्नी सीताराम अहीर आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 10 सेक्टर बी, बी–452 भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. दुर्गा पुत्री भैरू अहीर पत्नी मोहन लाल अहीर आयु वयस्क निवासी देवीपुरा तह0 राशमी जिला चित्तोड़गढ
8. सोनी बाई पत्नी रामलाल बैरवा आयु वयस्क निवासी तिलोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. कान्ता पत्नी भैरूदास आयु वयस्क निवासी तिलोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. रतन लाल पुत्र नन्दा अहीर आयु वयस्क निवासी तिलोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. लालाराम पुत्र नन्दा अहीर आयु वयस्क निवासी तिलोली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
13. उप पंजीयक उप तहसील कार्यालय कारोई जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 एवं धारा 151 जा0 दी0

उपस्थित–

1. श्री शोभागमल कुमावत–वादी/अप्रार्थी
2. श्री किशन कुमावत-- प्रतिवादी संख्या 2/प्रार्थी

प्रकरण संख्या 28/2020 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक– 16/6/2025

वादीया द्वारा दिनांक 09.09.2020 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92क एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वाद कम संख्या 28/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम संख्या 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 एवं धारा 151 जा0 दी0 का दिनांक 02.04.2025 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

उक्त उनवान का वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र वादीया/प्रार्थीया की ओर से श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है।

उक्त प्रकरण में वादीया की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में कराये गये विकय पत्र दिनांक 10.12.2014 को वादीया के रूबुरू शुन्य एंव अवैध निष्प्रभावी घोषित कराने का अनुतोष वादपत्र में चाहा गया है जो केवल मात्र सिविल न्यायालय के द्वारा ही दिया जा सकता है श्रीमान के न्यायालय को विकय पत्र को शुन्य एवं अवैध निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। विकय पत्र को शुन्य एवं अवैध निष्प्रभावी सिविल न्यायालय ही कर सकता है, राजस्व न्यायालय नहीं। इसलिये वादीया का वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र मात्र क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया के वादपत्र को खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० व धारा 151 जा०दी० का जवाब वादीया की ओर से दिनांक 16.04.2025 को पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

16/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है, जिसको अपने हक हिस्से की हद तक अवैध व शून्य घोषित कराने व खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु पेश किया है। वादीया की पुश्तैनी जायदाद होने व उक्त विक्रय पत्र वादीया के हक अधिकार के मुकाबले अवैध व शून्य होने से राजस्व न्यायालय को उक्त वादपत्र को अवैध शून्य घोषित करने व वादीया के हक हिस्से का निर्धारण कर खातेदार काश्तकार घोषित करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है। वादीया के खातेदारी हक अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा ही तय किये जायेगें न कि सिविल न्यायालय द्वारा। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायालय श्रीमान के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से विधिवत जांच पड़ताल कर दर्ज किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के दुराशय से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जिन आधारों पर प्रार्थनापत्र पेश किया है, वे आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 की परिधी में नहीं आता है व प्रतिवादीगण द्वारा जिन उजरों पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो उजर प्रतिवादीगण अपने प्रकरण के जवाब दावे में भी उठा सकता है व उक्त आधारों पर विवाद्यक कायम हो दोनो पक्षों की साक्ष्य से ही प्रकरण का निस्तारण हो सकता है। इस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीया का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र संव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी/प्रतिवादी कम संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जाब्ता दीवानी पर उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 8192/2008 उनवान मगतु व अन्य बनाम सुखदेवी व अन्य निर्णय दिनांक 09.09.2016 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान मुख्य पीठ जोधपुर में दायर एसबी सिविल प्रथम अपील संख्या 188/2014 उनवान मोहनलाल बनाम भीखाराम व अन्य निर्णय दिनांक 14.01.2015 की प्रति पेश की। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस माननीय उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 13468/2014 उनवान महेन्द्र सिंह बनाम मुर्ति देवी व अन्य निर्णय दिनांक 05.01.2015 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय डी0बी0 द्वारा सिविल अपील संख्या 1513/2018 उनवान सोमित्र कुमार सेन बनाम श्यामलकुमार सेन निर्णय दिनांक 21.02.2018 की नजीर पेश की गई। उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में उभयपक्षकरान् अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस का मनन एवं चिंतन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकरान् अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरे प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के प्रार्थना पत्र का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में किये गये अभिवचनों के आधार पर ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना विधिसम्मत होने से वादीया के वाद का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92क एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में वादीया द्वारा निम्नानुसार अनुतोष चाहा गया है– **"वादग्रस्त आराजियात वादीया की पुश्तैनी आराजियात है, वादीया जो विरासत के समय नाबालिग होने से उनके हितों की रक्षार्थ हेतु प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज किया गया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा आपस में मिलीभगती कर वर्ष 2014 में वादीया जो कि बालिग हो चुकी थी, वादीया का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के संरक्षक की हैसियत से गलत तौर पर दर्ज था, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी नम्बर 531, 537, 539, 541, 538 मे वादीया का हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 10.12.2014 को व आराजी नम्बर 542 में वादीया का हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को वादीया का हक हिस्सा वादीया बालिग हो जाने से विक्रय करने का हक अधिकार नहीं था व न ही नाबालिग अवस्था में ही उसको विक्रय करने का हक अधिकार था, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीया के हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पक्ष में किया गया विक्रयपत्र वादीया के मुकाबले अवैध, शुन्य एवं निष्प्रभावी होकर नल एंड वोइड है, वादीया अपने हक हिस्से के विक्रयपत्र को अवैध व शुन्य घोषित कराने व पुनः अपने हक हिस्से को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारीणी, तदनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे।"**

16/8/2018

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकॉर्ड ग्राम तिलोली तहसील भीलवाड़ा की सम्वत् 2069–72 की जमाबन्दी खाता संख्या 280, 281 एवं 433 का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में वादीया नारू उर्फ नारायणी देवी पुत्री स्व0 श्री भैरू अहीर का नाम दर्ज है एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीया नाबालिग होकर बबिलायत माता मांगी पत्नी स्व0 भैरू अहीर के संरक्षण में है। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में भी इस बात की ताहीद की गई है कि वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के दर्ज हक हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान किये जाने से प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के नाम वादग्रस्त भूमि अंतरित की गई है। प्रकरण में वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीया के हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को अवैद्य, शुन्य एवं निष्प्रभावी होकर नल एंड वोईड होने से अवैद्य व शुन्य घोषित कराने हेतु तथा स्वयं को खातेदारी काश्तकार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में वादीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से यह पुष्ट होता है कि वादीया को अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये थे और उसके खातेदारी अधिकारों का निर्वापन पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन के परिमाणस्वरूप हुआ है। इस प्रकार वादीया के खातेदारी अधिकारों का निर्वापन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (4) के अनुरूप हो चुका है। वादीया के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से निर्वापित हुए अधिकारों की पुनः मांग की गई है। उक्त अधिकार पंजीकृत विक्रय पत्र के शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने के उपरान्त ही प्रदत्त किया जाना संभव है।

वादीया के खातेदारी अधिकारों का अंतरण जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से उनकी नर्सैगिक माता/संरक्षक द्वारा किया गया है। साथ ही वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादिया की उम्र बालिग होकर 22 वर्ष है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि वादिया द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त 3 वर्ष की अवधि उपरान्त दावा पेश किया है तथा मियाद अधिनियम में छूट प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। साथ ही उक्त विक्रय पत्र को अवैध, शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्रदत्त है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के बिन्दु संख्या घ (D) से प्रथम दृष्टया बाधित होना प्रमाणित होता है। अतएवं

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी कम संख्या 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु संख्या घ (D) से बाधित होने से वादीया का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

16/6/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा